

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232268
SG-DL-E-30122021-232268

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 336
No. 408]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 336

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

F. No. 100/WFD/COT/21-22/8894-8902.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली में अर्ध-स्थायी/ अस्थायी आई.सी.यू. अस्पताल के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.00 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	बचाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
			प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
सुल्तानपुरी, नई दिल्ली में अर्ध-	39	12	22	05	27	270

स्थायी/अस्थायी आई.सी.यू. अस्पताल के निर्माण हेतु।						
योग	39	12	22	05	27	270

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. लोक निर्माण विभाग, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 15,39,000/- रुपये (पंद्रह लाख उन्तालीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (27 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 270 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, आम, शीशम एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का 02 स्थानों पर अर्थात् 30 पौधों का चारदीवारी के साथ इसी अस्पताल परिसर, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली में प्रस्तावित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर में और 240 पौधों का टिबिया अस्पताल करोल बाग, नई दिल्ली में प्रस्तावित क्षेत्र 2300 वर्ग मीटर में किया जाएगा।	270	15,39,000/-	उप-वन संरक्षक (उत्तरी)/वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 22 वृक्षों का प्रत्यारोपण उसी परियोजना स्थल में स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 270 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
3. 05 वृक्षों को काटे और 22 वृक्षों के प्रत्यारोपण किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 270 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
4. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिये आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
6. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) को प्रस्तुत किया जाएगा।
7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) को प्रस्तुत की जाएगी।
8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
9. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
10. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण उपभोगी संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
11. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. 27 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
13. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
15. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) को भी दी जाएगी।
19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
21. उपभोगी संस्था द्वारा 05 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 05 वृक्षों की अनुमति 22 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप- वन संरक्षक (उत्तरी) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
22. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
23. उपभोगी संस्था द्वारा 27 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।

24. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक कि पक्षी उसे छोड़ न दें।
25. अनुमति तभी दी जाएगी जब उप-वन संरक्षक (उत्तरी) द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांक 16.11.2021 के अनुसार उपभोगी संस्था द्वारा वृक्ष अधिकारी (उत्तरी) को प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण भूमि के मालिक से अतिक्रमण रहित प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
26. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th December, 2021

F. No. 100/WFD/COT/21-22/ 8894-8902.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 1.00 ha. approx. as detailed below for construction of Semi-Permanent/ Temporary ICU Hospital at Sultanpuri, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Total number of trees at the project site	Number of trees to be saved	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
			Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
Construction Semi-Permanent/ Temporary ICU Hospital at Sultanpuri, New Delhi.	39	12	22	05	27	270
Total	39	12	22	05	27	270

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Public Works Department (PWD), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.15,39,000 /- (Rs. Fifteen Lakh Thirty Nine Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.N.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation/ felling of 27 trees i.e 270 number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Mango, Sheesham along with other native species shall be carried out by User Agency/ PWD at 02	270	15,39,000 /-	Deputy Conservator of Forests (North)/ Tree Officer

	locations i.e 30 number at the same hospital premises, Sultanpuri, New Delhi alongwith boundary wall. Proposed area is 500 Square meter and 240 number at Tibia Hospital Karol Bagh, new Delhi. Proposed area is 2300 Square meter.			
(b)	Transplantation of 22 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at same project site with their own funds.			

2. 100% Compensatory Plantation of 270 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.
3. 270 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling of 05 no. of trees and transplantation of 22 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
4. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.
6. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.
7. User Agency shall be responsible to arrange to maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the Tree Officer (North) at the end of every financial year.
8. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating transplantation/ felling.
9. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
10. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three (03) months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
11. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
12. Permission for transplantation/ felling of 27 trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
14. Before removal of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
15. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
16. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

17. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
18. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (North) by User Agency.
19. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (North) by User Agency.
20. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
21. The transplantation shall be carried out prior to felling of 05 nos. of trees permitted herein. The 05 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 22 trees and submission of compliance certificate to DCF (North).
22. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
23. Transplantation/ felling of any tree apart from 27 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
24. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/ transplant till the same is abandoned by the birds.
25. The permission shall be granted only if encumbrance free Compensatory Plantation site/NOC from Owner of Compensatory Plantation land for carrying out Compensatory Plantation submitted to the Tree Officer (North) by the User Agency as per letter dated 16.11.2021 issued by DCF (North)/ Tree Officer.
26. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Forests & Wildlife)